



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05052025-262903
CG-MH-E-05052025-262903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]
No. 342]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2025/वैशाख 15, 1947
NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2025/VAISAKHA 15, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 5 मई, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता]

(संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/247.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 17क के साथ पठित धारा 31 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 एवं 12 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रुमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] विनियम, 2008 में,
(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (क) के बाद और खंड (ख) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(कक) “विज्ञापन” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) में इसके लिए दिया हुआ है;”;

(ख) खंड (घ) में, शब्दों “से इन विनियमों के अधीन न्यासी को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के तहत न्यासी (ट्रस्टी) को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र” आ जाएंगे;

(ग) खंड (घ) के बाद और खंड (ङ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(घक) “नियंत्रण” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में इसके लिए दिया हुआ है;”;

(घ) खंड (छ) में,

i. उप-खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएँगे, अर्थात्,-

“ii. जो ओरिजिनेटर (प्रारंभकर्ता) भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आता हो, उसके द्वारा बनाई गई कोई वित्तीय आस्ति (फाइनेंशियल असेट):

परंतु यह कि “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी / विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता) यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे ओरिजिनेटर निम्नलिखित के सिलसिले में सिक्योरिटाइज़ेशन (प्रतिभूतिकरण) का कार्य नहीं करेंगे या सिक्योरिटाइज़ेशन का कोई एक्सपोज़र नहीं लेंगे:

(क) रीसिक्योरिटाइज़ेशन के एक्सपोज़र;

(ख) इस तरह के स्ट्रक्चर जिनके तहत शॉर्ट-टर्म इन्स्ट्रूमेंट (छोटी अवधि के लिए जारी किए जाने वाले इन्स्ट्रूमेंट) [जैसे कि वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर), जो समय-समय पर रोल-ओवर होते रहते हैं] स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी के पास पड़ी लॉग टर्म असेट्स (लंबी अवधि के लिए जारी किए जाने वाले) की एवज में जारी किए जाते हों;

(ग) सिंथेटिक सिक्यूरिटाइज़ेशन; और

(घ) जहाँ सिक्यूरिटाइज़ेशन की अंडरलाइंग असेट ये हों:

- i. रीवॉल्विंग क्रेडिट की वे सुविधाएँ, जहाँ कर्ज लेने वाले को यह अनुमति हो कि वह कर्ज की पहले से तय सीमा (लाइन ऑफ क्रेडिट) के भीतर जितना चाहे उतना अपने हिसाब से कर्ज ले सकता हो और उसी हिसाब से उसकी चुकौती भी कर सकता हो [जैसे कि क्रेडिट कार्ड की सुविधा के तहत प्राप्त होने वाली बकाया रकम और कैश क्रेडिट की सुविधाएँ];
- ii. रीस्ट्रक्चर हुए कर्ज एवं अग्रिम (एडवांस) [निर्धारित अवधि में आने वाले];
- iii. उधार देने वाली दूसरी संस्थाओं के एक्सपोज़र;
- iv. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रीफाइनेंस हुए एक्सपोज़र;
- v. वे कर्ज, जिनमें मूलधन की रकम और ब्याज की रकम दोनों की चुकौती पहले ही अपने हिसाब से करने का विकल्प हो; और
- vi. वे कर्ज, जिनकी बची हुई मीयाद तीन सौ पैसठ से कम दिनों की हो:

परंतु यह कि खेती-बाड़ी करने के कामकाज के लिए व्यक्तियों को जो कर्ज चौबीस महीनों तक की अवधि के लिए दिए गए हों [जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2020 के अध्याय-III में जिक्र किया गया है] और जहाँ ब्याज और मूलधन की रकम की चुकौती केवल मीयाद पूरी होने के समय ही करनी होती हो, वे कर्ज और बारह महीनों तक की अवधि के जो ट्रेड रिसीवेबल उधार देने वालों ने उधार लेने वालों से खरीदे हों या कम कीमत पर खरीदे हों, वे सिक्योरटाइज़ेशन के लिए पात्र होंगे:

परंतु यह और कि केवल वही कर्ज या रिसीवेबल ही सिक्यूरिटाइज़ेशन के लिए पात्र होंगे, जहाँ उधार लेने वाले (खेती-बाड़ी के लिए लिए गए कर्ज के मामले में) ने या जिसके नाम पर बिल जारी किया गया हो (ट्रेड रिसीवेबल के मामले में) ने निर्धारित तारीख से नब्बे दिनों के भीतर पिछले दो कर्जों या रिसीवेबल (खेती-बाड़ी के कामकाज के सिलसिले में लिए गए कर्जों के मामले में, एक कर्ज एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लिया गया हो) की पूरी रकम चुका दी हो।

स्पष्टीकरण:- यदि ऐसे असेट को सिक्यूरिटाइज़ किया जाता हो, तो ऐसे में उनकी एवज में जारी किए गए सिक्योरटाइज़ेशन नोट में निवेश करने वाले निवेशक यह पुष्टि कर सकें कि अंडरलाइंग असेट के मामले में उपरोक्त प्रावधान का पालन हो रहा है या नहीं।

- iii. उपकरण को किराए पर देने से प्राप्त होने वाली रकम (रिसीवेबल);
- iv. लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़ (सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ);
- v. ट्रेड रिसीवेबल [ओबलाइजर द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए बिलों आदि के अनुसार मिलने वाले];
- vi. किराए से प्राप्त होने वाली रकम (रिसीवेबल); और
- vii. ऐसा कर्ज या रिसीवेबल, जिसमें बोर्ड द्वारा अधिसूचित किए गए सस्टेनेबल सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं:

परंतु यह कि ऐसे सभी कर्ज या रिसीवेबल के संबंध में या तो लिखित रूप में कोई करार आदि किए गए हों या फिर लिखित रूप में देनदारी स्वीकार की गई हो:

परंतु यह और कि कोई भी दूसरा कर्ज या रिसीवेबल [जिसमें अनलिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़ (असूचीगत ऋण प्रतिभूतियाँ) या दूसरी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) या इंस्ट्रूमेंट या असेट्स शामिल हैं] सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट का अंडरलाइंग नहीं बनेगा:

परंतु यह और कि रीसिक्यूरिटाइज़ेशन और सिंथेटिक सिक्यूरिटाइज़ेशन की अनुमति नहीं होगी।”

ii. उप-खंड (iii) अब उप-खंड (viii) बन जाएगा;

(ड) खंड (ज) के बाद और खंड (ट) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(अक) “अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि” का अर्थ है - वह न्यूनतम अवधि, जब तक कोई ओरिजिनेटर कोई कर्ज या रिसीवेबल, सिक्यूरिटाइज़ेशन के उद्देश्य से किसी “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) को देने से पहले, अपने पास रखेगा;”

(2) अध्याय-II में, शीर्षक में, शब्दों “न्यासियों का रजिस्ट्रीकरण” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ट्रस्टी (न्यासी)” आ जाएंगे।

(3) विनियम 4 में,

(क) उप-विनियम (1) में,

(i) खंड (ख) में, शब्दों “इन विनियमों के अधीन” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 के तहत” आ जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, चिह्न “1” के स्थान पर चिह्न “.” आ जाएगा;

(iii) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि जो एंटिटी इस संशोधन के लागू होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार इन विनियमों के तहत बोर्ड के यहाँ ट्रस्टी (न्यासी) के रूप में पहले से ही रजिस्टर हो, वह “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी ऐसी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना जारी रखेगी।”;

(ख) उप-विनियम (2), (2क), (3), (4) और (5) हट जाएंगे।

(4) विनियम 5, 6, 7 और 8 हट जाएंगे;

(5) विनियम 10 में, उप-विनियम (3) में,

(क) शब्दों “कोई भी विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता किसी प्रारंभकर्ता से कोई ऋण या प्राप्य अर्जित नहीं करेगी जो उसी समूह का भाग है या जो न्यासी के रूप में एक ही प्रबंधन के अधीन है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी / विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता) ऐसे किसी ओरिजिनेटर (प्रारंभकर्ता) से किसी भी तरह का कर्ज या रिसीवेबल अर्जित नहीं करेगी, जो एक ही समूह (ग्रुप) का हिस्सा हो या जब उसका और ट्रस्टी (न्यासी) का नियंत्रण एक ही हाथ में हो।” आ जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में,

i. खंड (क) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “ “उसी समूह का भाग समझे जाएंगे” यदि वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 2 के खण्ड (डच) के अर्थ के भीतर उसी समूह के हैं या यदि वे उस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के भीतर “अंतर्संबद्ध उपक्रम” के स्वामी हैं” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “ “एक ही समूह का हिस्सा समझे जाएंगे” यदि

वे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 5 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अर्थ के अनुसार एक ही समूह के हों” आ जाएंगे;

- ii. खंड (ख) में, शब्दों “का अर्थ वही होगा” से पहले दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों “पद “एक ही प्रबंध के अधीन” ” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “शब्दों “नियंत्रण एक ही हाथ में होने” ” आ जाएंगे;
- iii. खंड (ख) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 370 की उप-धारा (1ख) से प्राप्त है” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) में दिया हुआ है” आ जाएंगे;

(6) विनियम 10 के बाद और विनियम 11 से पहले, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“समय-समय पर अनिवार्य रूप से दी जानी वाली जानकारी (किए जाने वाले डिस्क्लोज़र)

10क. (1) ओरिजिनेटर अंडरलाइंग असेट पूल के परफॉर्मेंस के संबंध में ट्रस्टी (न्यासी) के पास समय-समय पर (कम से कम एक तिमाही में एक बार) रिपोर्टें प्रस्तुत करता रहेगा।

(2) ओरिजिनेटर ने जो सिक्यूरिटाइजेशन ट्रस्ट बनाया हो उसे सौंपे गए अंडरलाइंग असेट पूल के सिलसिले में जो जानकारी आदि दी गई हो (डिस्क्लोज़र किए गए हों), उसके सिलसिले में अपने लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) [ऑडिटर] से हर तिमाही में प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करेगा।”

(7) विनियम 11 में,

(क) उप-विनियम (2) में, शब्दों “न्यासी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यास विलेख और किसी अन्य संव्यवहार संबंधी दस्तावेज में प्रसंविदाओं का अनुपालन संबद्ध पक्षकारों द्वारा किया जाता है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ट्रस्टी (न्यासी) यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) और लेनदेन से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज में दी हुई शर्तों आदि का पालन संबंधित पक्षों (पक्षकारों) द्वारा किया जाए, और ट्रस्ट डीड तथा लेनदेन (संव्यवहार) से संबंधित दस्तावेजों में दी हुई शर्तों आदि का उल्लंघन होने के मामले में जरूरी कदम उठाएंगे” आ जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (3) में,

i. खंड (च) में, शब्दों तथा चिह्नों “निवेशकों के हित का संरक्षण करने के लिए समुचित उपाय करेगा जिसमें उसके द्वारा किसी विधि, किन्हीं नियमों, विनियमों, बोर्ड के या किसी अन्य विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी) के निदेशों के किसी तात्त्विक भंग या अननुपालन के संबंध में उसके खिलाफ शुरू की गयी किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाही, इत्यादि के बारे में बोर्ड को सूचित करना सम्मिलित है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “बोर्ड को उसके खिलाफ शुरू की गई ऐसी किसी कार्रवाई, कानूनी कार्यवाही, आदि की जानकारी देगा, जो उसके खिलाफ बोर्ड या किसी दूसरी रेग्यूलेटरी बॉडी (विनियामक निकाय) के किन्हीं कानूनी प्रावधानों, नियमों, विनियमों (रेग्यूलेशन्स), निदेशों का बड़ा उल्लंघन होने या पालन न किए जाने की वजह से शुरू की गई हों” आ जाएंगे;

ii. खंड (झ) में, शब्दों तथा चिह्नों “सर्विसर द्वारा उसकी बाध्यताओं के अनुपालन और उसके संबंध में की गयी कार्रवाइयों के बारे में निवेशकों को, कम से कम तिमाही आधार पर, संसूचित करेगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “निवेशकों को कम से कम हर तिमाही में यह बताएगा कि सर्विसर द्वारा अपनी बाध्यताएँ पूरी की गई हैं या नहीं और यदि पूरी न की गई हों तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई” आ जाएंगे;

- iii. खंड (ज) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रतिभूतिकरण न्यास को समनुदेशित अंडरलाइंग आस्ति पूल के प्रकटीकरणों, जो प्रारंभकर्ता द्वारा किये गये हों, के संबंध में प्रारंभकर्ता के संपरीक्षक (संपरीक्षकों) से, तिमाही आधार पर, प्रमाणपत्र अभिप्रास करेगा” के स्थान पर, शब्द और चिह्न “इस संबंध में आरिजिनेटर के लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों) [ऑडिटर] से हर तिमाही में प्रमाणपत्र लेगा कि आरिजिनेटर द्वारा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को सौंपी गई अंडरलाइंग असेट पूल के संबंध में जानकारी दी गई है (प्रकटीकरण किए गए हैं) या नहीं” आ जाएंगे;
- iv. खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,
- “(ठ) तब सभी निवेशकों की एक बैठक बुलाएगा —
- (i) जब कम से कम एक-दहाई निवेशक (बकाया मूल्य के अनुसार) लिखित रूप में निवेदन करें; या
- (ii) जब ऐसी कोई घटना हो जाए, जिसे सर्विसर द्वारा की गई चूक (डिफॉल्ट) माना जाए अथवा जब ट्रस्ट डीड या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) से संबंधित दस्तावेजों में उल्लिखित शर्तों आदि का उल्लंघन हो जाए अथवा जिसकी वजह से ट्रस्टी की यह राय हो कि उससे निवेशकों के हितों पर असर पड़ेगा;”
- v. खंड (ठ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “(ठक) निवेशकों की बैठक बुलाएगा, यदि ट्रस्टी को जरूरी लगे तो;
- (ठख) निवेशकों की बैठक उसी तरह बुलाएगा और आयोजित करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, बशर्ते कि:
- (क) बैठकों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेने की सुविधा भी दी जाए और ऑनलाइन मतदान करने की भी सुविधा दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक बैठकों में शरीक हो सकें;
- (ख) बैठक में मौजूद निवेशकों के मतदान के आधार पर शीघ्र निर्णय लिए जाएँ;
- (ग) जरूरी बहुमत के लिहाज से यह देखा जाए कि जब भी कोई मामला सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जिनके पास हों उनके समक्ष रखा जाए, तो उस मामले को लेकर निर्णय उनके द्वारा (बकाया सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट के मूल्य के पचास प्रतिशत से ज्यादा के मूल्य के अनुसार) लिया जाए, हालांकि यदि इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या बोर्ड द्वारा बनाए गए किन्हीं दूसरे विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में या उस समय लागू किसी दूसरे कानूनी प्रावधान में या ट्रस्ट डीड में स्पष्ट रूप से कोई और प्रावधान किया गया हो, तो ऐसे में वही प्रावधान लागू होगा:
- परंतु यह कि सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रस्ट डीड की शर्तों आदि में ऐसा निर्णय लेने के संबंध में ज्यादा बहुमत का प्रावधान किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण:- इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जिनके पास हों उनकी बैठकें बुलाए जाने के संबंध में बोर्ड द्वारा यदि कोई मानदंड निर्धारित किए गए हों, तो वे, जरूरी बदलावों के साथ, निवेशकों की बैठकें बुलाने के संबंध में भी लागू होंगे ।”;

- vi. खंड (ढ) में, शब्दों तथा चिह्नों “रजिस्ट्रीकरण संबंधी स्थिति में होने वाले किसी परिवर्तन या बोर्ड द्वारा की गयी किसी प्रशासनिक, सिविल अथवा दांडिक (शास्तिक) कार्रवाई” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “यदि रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में कोई बदलाव हो जाता है या बोर्ड द्वारा ट्रस्टी के खिलाफ किन्हीं लागू विनियमों (रेग्यूलेशन) के तहत किसी भी तरह की प्रशासनिक, सिविल या दांडिक (शास्तिक) कार्रवाई की जाए” आ जाएंगे;
- vii. खंड (ढ) में, शब्दों तथा चिह्नों “या वित्तीय स्थिति में होने वाले किसी तात्त्विक परिवर्तन, जो निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो, की सूचना निवेशकों को तुरंत देगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “या ट्रस्टी की वित्तीय स्थिति में ऐसा कोई बड़ा बदलाव हो जाए जिससे निवेशकों के हितों पर असर पड़ सकता हो, तो ऐसे में इसकी जानकारी निवेशकों को तुरंत देगा” आ जाएंगे।

(ग) उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(4) ट्रस्टी इन विनियमों तथा ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के अनुसार संबंधित स्कीमों के फंड (पैसों) और संपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे तथा वे उनके कस्टोडियन (अभिरक्षक) भी होंगे, और जो उन्हें यूनिटधारकों के हित में ट्रस्ट में रखेंगे।

(5) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्ट (न्यास) की संपत्ति पर कोई आंच न आए, और जो सही लोगों के हाथों में रहे और वे उसे सही ढंग से संभालें, और साथ ही साथ इस काम के लिए जितने लोगों की जरूरत हो उतने लोग इस काम में लगाए जाएँ।

(6) ट्रस्टी अनुसूची-III में दी हुई आचार संहिता का पालन करेगा।

(7) ट्रस्टी “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) द्वारा किए जाने वाले कार्यों [जो विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आते हों] के संबंध में अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।”

(8) विनियम 11क के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“बोर्ड के पास समय-समय पर जानकारी प्रस्तुत करना

11ख. (1) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और ट्रस्टी हर छमाही में बोर्ड के पास जानकारी उसी तरह से प्रस्तुत करेंगे, जैसा बताया जाए।

(2) बोर्ड साझा की जाने वाली जानकारी (डिस्कलोज़र) के संबंध में फॉर्मेट निर्धारित कर सकेगा तथा कुछ और अनुदेश भी दे सकेगा तथा कुछ और जानकारी देने के संबंध में ऐसे कुछ और प्रावधान भी कर सकेगा, जिनके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था करने की बात कही जाए कि सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट से संबंधित डाटा की प्रोसेसिंग भी सिस्टम के जरिए अपने-आप होती रहे तथा सिस्टम के जरिए ही उन पर अपने आप नज़र भी रखी जा सके; और इस तरह से साझा की जाने वाली जानकारी (डिस्कलोज़र) के संबंध में निर्धारित प्रावधानों का निर्बाध रूप से पालन सुनिश्चित होता रहे।”;

(9) विनियम 14 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(3) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी), लिक्विडिटी प्रोवाइडर (अर्थसुलभता प्रदाता) की सेवाएँ लेते समय, यह सुनिश्चित करेगी कि:

- (i) लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रोवाइडर वित्तीय क्षेत्र के कम से कम किसी एक विनियामक (रेग्युलेटर) के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आता हो।
- (ii) प्रदान की जाने वाली सुविधा दूसरे इंटरजामों से पूरी तरह से अलग हो, और जो लिखित रूप में पूरी तरह स्पष्ट हो, यानि की लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजेक्शन) के समय किए जाने वाले लिखित करार

(एग्रीमेंट) में यह जिक्र होगा कि वह किस तरह की होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका दायरा क्या होगा और परफॉर्मेंस का आकलन करने के मानदंड क्या होंगे, और यह जानकारी ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में दी जाएगी।

- (iii) सुविधा प्रदान करते समय व्यवहार वैसा ही रहे, जैसा बाजार में दूसरों के साथ रहता है और साथ ही साथ सुविधा प्रदान करने वाला कर्ज दिए जाने के संबंध में मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा समीक्षा (रिव्यू) की प्रक्रिया भी सभी के लिए एक जैसी अपनाएगा।
- (iv) इस सुविधा से संबंधित फीस आदि न तो कम की जाए, न ही स्थगित की जाए और न ही माफ की जाए।
- (v) वह सुविधा एक तय रकम और समायावधि के लिए दी जाए।
- (vi) जो समायावधि तय की जाए, वह:

(क) या तो “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) द्वारा जारी किए गए सिक्यूरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स नोट से संबंधित सभी दावों का निपटारा (सेटलमेंट) होने तक की होगी,

(ख) या फिर सुविधा प्रदान करने वाले (फैसिलिटी प्रोवाइडर) के दायित्व पूरे होने तक की होगी (इनमें से जो भी प्रक्रिया पहले पूरी हो)।

- (vii) सुविधा प्रदान करने वाला (फैसिलिटी प्रोवाइडर) उतनी ही सुविधा उपलब्ध कराएगा, जितनी करार आदि के तहत पहले से तय हो।

- (viii) किसी कानूनी सलाहकार से राय लेकर यह पुष्टि करवा ली जाए कि सुविधा प्रदान करने वाले (फैसिलिटी प्रोवाइडर) की जिम्मेदारी निवेशकों या “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) या ट्रस्टी के प्रति उतनी ही बनती है, जितनी करार आदि के तहत जिक्र किया गया है।

- (ix) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटियों” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और/या निवेशकों के पास कोई दूसरा ‘सुविधा प्रदान करने वाला’ (फैसिलिटी प्रोवाइडर) चुनने का अधिकार होगा, बशर्ते कि इन शर्तों का पालन किया जाए।

- (x) किए गए करार आदि में साफ-साफ यह जिक्र हो कि सुविधा किन-किन परिस्थितियों में ली जा सकती है और किन-किन में नहीं।

- (xi) यह सुविधा केवल तभी ली जाएगी जब उसे कवर करने के लिए ऐसे पर्याप्त असेट हों जिनके संबंध में चूक (डिफॉल्ट) न हुई हो या जब बड़े क्रेडिट एन्हांसमेंट हो सकने वाले एन.पी.ए. को कवर कर पाएँ।

- (xii) इस सुविधा का इस्तेमाल:

(क) क्रेडिट एन्हांसमेंट के लिए नहीं किया जाएगा;

(ख) इश्युअर (निर्गमकर्ता) के नुकसान की भरपाई करने के लिए नहीं किया जाएगा;

(ग) रीवॉल्विंग की स्थायी सुविधा के रूप में नहीं किया जाएगा (यानि कि लिक्विडिटी सपोर्ट का इस्तेमाल केवल किसी विशेष परिस्थिति में ही किया जाएगा); या

(घ) ड्रॉडाउन करने से पहले अंडरलाइंग असेट के संबंध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए नहीं किया जाएगा।

- (xiii) यह सुविधा इनके संबंध में उपलब्ध नहीं होगी:

(क) सिक्योरिटाइजेशन पर बार-बार होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए;

- (ख) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) द्वारा कोई और असेट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पूरी करने के संबंध में;
- (ग) निवेशकों को अंतिम चुकौती (रीपेमेंट) करने के संबंध में; या
- (घ) वारंटी के उल्लंघन की भरपाई करने के संबंध में।
- (xiv) यह सुविधा “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) को दी जाएगी, न की सीधे निवेशकों को।
- (xv) एक बार जब सुविधा ले ली जाए, तो ऐसे में सुविधा प्रदान करने वाले (फैसिलिटी प्रोवाइडर) को अंडरलाइंग असेट से होने वाले फ्यूचर कैश फ्लो के मामले में सबसे ज्यादा तवज्जो मिलेगी, यानि कि सीनियर ‘ट्रांच’ से भी ज्यादा।
- (xvi) यदि किसी दूसरे (थर्ड पार्टी) की ओर से मिलने वाले लिक्विडिटी सपोर्ट में कोई कमी आ जाए, तो उसके लिए ओरिजिनेटर जिम्मेदार नहीं होगा।
- (4) उप-विनियम (3) में बताई गई शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी न होने पर यह मान लिया जाएगा कि लिक्विडिटी की सुविधा क्रेडिट एन्हांसमेंट का उद्देश्य पूरा कर रही है, और इस तरह से किसी दूसरे (थर्ड पार्टी) द्वारा प्रदान की जा रही लिक्विडिटी की सुविधा को क्रेडिट एन्हांसमेंट मान लिया जाएगा।
- (5) लिक्विडिटी की सुविधा केवल छोटी अवधियों के लिए ही ली जाएगी, और उसका इस्तेमाल लगातार दो रीपेमेंट साइकल के लिए नहीं किया जाएगा।”
- (10) विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1), या किसी अन्य लागू विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष प्रयोजन की सुभिन्न सत्ता उचित लेखे या अभिलेख रखेगी या रखवायेगी, इसकी और इसकी सभी स्कीमों की आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय का सही और ऋजु चित्र बनाने में समर्थ बनाने के लिए और इन विनियमों तथा अन्य लागू विधियों की प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के प्रावधानों या किन्हीं दूसरे लागू कानूनी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) उचित लेखा-बहियाँ और रिकॉर्ड रखेगी या रखवाएगी, ताकि उसकी और उसकी सभी स्कीमों के असेट (आस्तियों), उनकी देनदारियों (उनके दायित्वों), उनकी आय और उनके खर्चों की सही-सही तस्वीर पेश हो, और साथ ही इन विनियमों तथा दूसरे लागू कानूनी प्रावधानों में जानकारी देने (डिस्कलोजर करने) के संबंध में जो अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं उनका भी पालन हो सके।” आ जाएँगे;
- (11) विनियम 19 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
- “सिक्यूरिटाइजेशन से जुड़ी शर्तें**
- 19क.** सिक्यूरिटाइजेशन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा, और उसी के हिसाब से सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जारी किया जाएगा:
- (क) किसी भी ऑब्लाइजर का सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाने के समय किसी भी असेट पूल में पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा का हिस्सा न हो।
- (ख) सिक्यूरिटाइजेशन के पूल में जो असेट होंगी वे एक जैसी ही हों।
- (ग) सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट पहले से ही पूरी तरह पेड-अप हों।
- (घ) ओरिजिनेटर का तीन वित्तीय वर्षों का जिस क्षेत्र में कामकाज का पिछला रिकॉर्ड रहा हो, उससे संबंधित कर्ज या रिसीवेबल का ही वह ओरिजिनेटर सिक्योरिटाइजेशन करवा सकेगा।

(ड) ऑब्लाइजर का तीन वित्तीय वर्षों का जिस क्षेत्र में कामकाज का पिछला रिकॉर्ड रहा हो, उससे संबंधित कर्ज या रिसीवेबल का ही वह ओरिजिनेटर सिक्योरिटाइजेशन करवा सकेगा:

परंतु यह कि खंड (घ) और (ड) में पिछले रिकॉर्ड से संबंधित जिन शर्तों का जिक्र किया गया है, वे उस सिक्यूरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट के मामले में लागू नहीं होंगी, जहाँ ओरिजिनेटर वह एंटीटी हो जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आती हो:

परंतु यह और कि बोर्ड खंड (क) में बताई गई शर्त में ढील दे सकेगा, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

स्पष्टीकरण:- (1) शब्दों 'एक ही जैसी होने' का अर्थ है - सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जिन अंडरलाइंग असेट्स का लाया जा रहा हो वे असेट एक जैसे हों या उनमें जोखिम आदि भी एक जैसा ही हो या उनका रिटर्न प्रोफाइल भी एक जैसा ही हो।

(2) बोर्ड, अपेक्षानुसार, अलग-अलग तरह के अंडरलाइंग कर्ज या रिसीवेबल के संबंध में यह प्रावधान कर सकेगा कि किन-किन कर्ज या रिसीवेबल्स को एक जैसा माना जाएगा।”;

(12) विनियम 21 में, उप-विनियम (4) में,

(क) परंतुक में, चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

(ख) पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित दूसरा परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि कोई प्रस्ताव (ऑफर) आम जनता के लिए लाया गया (डीमड पब्लिक ऑफर) नहीं माना जाएगा, जब “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटियाँ” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) या सिक्योरिटाइजेशन से जुड़े लेनदेन (ट्रांजैक्शन) का इरादा ‘पास थ्रू सर्टिफिकेट’ या सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट या नोट या इंस्ट्रूमेंट या प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटी) [फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए] उतने निवेशकों को जारी करने का न हो जितने का जिक्र विनियम 21 के उप-विनियम (4) में किया गया है, और उन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने का भी न हो, तो ऐसे में नीचे दी हुई प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी:

- i. इस प्रक्रिया का साफ-साफ जिक्र प्रमुखता से और लिखित रूप में ऑफर डॉक्यूमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरैन्डम या इन्फॉर्मेशन मेमोरैन्डम या किसी दस्तावेज या करार (कॉण्ट्रैक्ट) [या ऐसा ही कुछ और] में ‘पास थ्रू सर्टिफिकेट’ या सिक्योरिटाइजेशन नोट या इन्स्ट्रूमेंट्स या प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) या सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट (फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) के संबंध में किया जाए कि निवेशकों की संख्या आगे भी पचास तक ही सीमित रहेगी, और निवेशक इन पाबंदियों का तथा इश्युअर एवं डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें।
- ii. ‘पास थ्रू सर्टिफिकेट’ या सिक्योरिटाइजेशन नोट या सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रूमेंट (फिर चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए) डीमैट रूप में ही जारी किए जाएँगे, रखे जाएँगे और ट्रांसफर (अंतरित) किए जाएँगे।
- iii. इश्युअर और निवेशक केवल उसी व्यवस्था का पालन करेंगे, जो डिपॉजिटरी द्वारा ऐसे इंस्ट्रूमेंट जारी करने, उनका आबंटन (अलॉटमेंट) करने, उन्हें रखने और उनका ट्रांसफर करने के संबंध में निर्धारित की गई हो।”

(13) विनियम 23 में,

i. उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) द्वारा सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे और उसके बाद किए जाने वाले सभी ट्रांसफर (अंतरण) भी डीमैट रूप में ही किए जाएंगे।” और

ii. उप-विनियम (3) हट जाएगा;

(14) विनियम 26 में, उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, शब्दों, चिह्नों तथा अंको “प्रयोजन के लिए “विशेषज्ञ” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 59 की उप-धारा (2) में है” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रयोजनार्थ शब्द “विशेषज्ञ” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (38) में इसके लिए दिया हुआ है” आ जाएंगे;

(15) विनियम 29 में, शब्दों “प्रतिभूत ऋण लिखतों का कोई भी सार्वजनिक प्रस्ताव तीस से अधिक दिनों के लिए खुला नहीं रहेगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट का कोई भी पब्लिक ऑफर (सार्वजनिक प्रस्ताव) दो कार्य दिवसों से कम के लिए और दस कार्य दिवसों से ज्यादा के लिए खुला नहीं रहेगा।” आ जाएंगे;

(16) विनियम 30 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“निवेश की न्यूनतम रकम (टिकिट साइज़)

30क. (1) सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए उसमें किए जाने वाले निवेश की न्यूनतम रकम एक करोड़ रुपये की होगी।

स्पष्टीकरण:- इन विनियम के प्रयोजनार्थ, निवेश की न्यूनतम रकम (टिकिट साइज़) का अर्थ है – एक निवेशक को कम से कम कितनी रकम का निवेश करना होगा।

(2) सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट के बाद में किए जाने वाले ट्रांसफर (अंतरण) के मामले में निवेश की न्यूनतम रकम निम्नानुसार होगी:

- (i) जो ओरिजिनेटर भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में न आते हों, उनके मामले में निवेश की न्यूनतम रकम एक करोड़ रुपये की होगी।
- (ii) जिन सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट की अंडरलाइंग सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ (लिस्टिड सिक्यूरिटीज़) हों, उनके मामले में निवेश की न्यूनतम रकम सबसे ज्यादा फेस वैल्यू वाली प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के बराबर की होगी:

परंतु यह कि जिन सिक्यूरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट का अमौरटाइज़ेशन स्ट्रक्चर हो, उनकी ट्रेडिंग उसी भाव पर करने की अनुमति होगी जिस भाव पर उन्हें अमौरटाइज़ किया गया हो, जब निवेश की न्यूनतम रकम (टिकिट साइज़) एक करोड़ रुपये से कम हो जाए।

कम से कम कितना हिस्सा अपने पास रखना होगा

30ख. (1) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) यह सुनिश्चित करेगी कि ओरिजिनेटर इस विनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करे।

(2) ओरिजिनेटर को उस कर्ज या रिसीवेबल के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) का कम से कम दस प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखना होगा, जिसका सिक्योरिटाइजेशन करवाया जा रहा हो:

परंतु यह कि जहाँ किसी लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के मामले में किसी भी कैश फ्लो की मीयाद चौबीस महीनों के भीतर पूरी होने वाली हो, तो ऐसे में ओरिजिनेटर को उस असेट के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) का कम से कम पाँच प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखना होगा, जिसका सिक्योरिटाइजेशन करवाया जा रहा हो।

(3) जिन सिक्योरिटीज़ की जमानत आवास ऋण हों (जो रेसीडेंशियल मोर्टगेज बैकड सिक्योरिटीज़ हों), उनके मामले में ओरिजिनेटर को उन कर्जों के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) का कम से कम पाँच प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखना होगा जिसका सिक्योरिटाइजेशन करवाया जा रहा हो, फिर भले ही शुरुआत में उनकी मीयाद जो भी हो।

(4) उप-विनियम (3) में जिस बही-मूल्य (बुक वैल्यू) का जिक्र किया गया है, वह ओरिजिनेटर निम्नानुसार अपने पास रखेगा:

(क) जिस मामले में कर्ज के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) के केवल पाँच प्रतिशत हिस्से का सिक्योरिटाइजेशन करवाया जा रहा हो, उस मामले में:

i. फर्स्ट लॉस फैसिलिटी, यदि उपलब्ध हो;

ii. यदि फर्स्ट लॉस फैसिलिटी उपलब्ध न हो, या जहाँ फर्स्ट लॉस फैसिलिटी के तहत रखी गई समस्त रकम पाँच प्रतिशत से कम हो, वहाँ बची हुई रकम इक्विटी ट्रांच के रूप में रखी जाएगी;

iii. जहाँ फर्स्ट लॉस फैसिलिटी (यदि उपलब्ध हो) के तहत रखी गई समस्त रकम, और इक्विटी ट्रांच के रूप में रखी गई रकम पाँच प्रतिशत से कम हो, वहाँ शेष रकम निवेशकों को बेचे जाने वाले बाकी के ट्रांच में रखी जाएगी।

(ख) जिस मामले में कर्जों के बही-मूल्य (बुक वैल्यू) के पाँच प्रतिशत से ज्यादा का सिक्योरिटाइजेशन करवाया जा रहा हो, उस मामले में:

फर्स्ट लॉस फैसिलिटी अथवा इक्विटी ट्रांच या निवेशकों को बेची जाने वाली कोई दूसरी ट्रांच, दोनों भी हो सकती हैं।

स्पष्टीकरण:- (1) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि जरूरत से ज्यादा कोलैट्रल रखा गया हो, तो इस प्रयोजनार्थ उसे फर्स्ट लॉस फैसिलिटी में नहीं गिना जाएगा।

(2) इस विनियम के प्रावधान के सिलसिले में इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप (जिसमें एक्सेस इंटरेस्ट स्प्रेड या फ्यूचर मार्जिन इनकम का जिक्र आता हो, और फिर चाहे इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप को ज्यादा तबज्जो दी जाती हो या न दी जाती हो) में किया जाने वाला निवेश नहीं गिना जाएगा।

(5) इस विनियम का पालन सुनिश्चित करते समय निम्नलिखित शर्तें भी पूरी की जाएँ:

(क) ओरिजिनेटर द्वारा जितना जोखिम उठाने की बात कही गई हो, उसे वह किसी भी तरह से कम नहीं करेगा, फिर चाहे ऐसा क्रेडिट रिस्क की हैजिंग करके किया जाए या फिर उपरोक्तानुसार रखे गए इंटरेस्ट को बेचकर या उस पर ऋण-भार सृजित करके किया जाए।

(ख) ओरिजिनेटर द्वारा कम से कम जितना जोखिम उठाने की बात कही गई है, वह जोखिम ओरिजिनेटर खुद ही उठाएगा और उसे अपनी किसी भी ग्रुप एंटीटी पर नहीं डालेगा।

(ग) उपरोक्तानुसार जोखिम जिस तरह से उठाने की बात कही गई है, उसे सिक्योरिटाइजेशन की पूरी अवधि के दौरान बदला नहीं जाएगा।

- (घ) मूलधन की जितनी रकम अमोर्टाइज़ न की गई हो, उसके एक निश्चित प्रतिशत के तौर पर कम से कम जितना जोखिम उठाने की बात कही गई हो उतना जोखिम हमेशा उठाए रखा जाएगा। हालाँकि चुकौती (रीपेमेंट) करने या नुकसान की भरपाई करने की वजह से अगर रखा हुआ एक्सपोज़र कम हो जाए, तो ऐसे में जोखिम की वह रकम कम हो सकती है।

‘अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि’

30ग. (1) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) यह सुनिश्चित करेगी कि ओरिजिनेटर द्वारा कर्जों का सिक्योरिटाइज़ेशन तभी करवाया जाए, जब उतनी न्यूनतम अवधि तक कर्ज ओरिजिनेटर के पास रहें जितनी इस विनियम में बताई गई है।

(2) ओरिजिनेटर के पास कोई कर्ज कितनी अवधि तक रहा, यह अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख को ‘अंडरलाइंग सिक्यूरिटी इंटरेस्ट’ को ‘सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइज़ेशन असेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया’ के यहाँ रजिस्टर करवाया जाए।

(3) ‘अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि’ निम्नानुसार लागू होगी:

(क) दो वर्षों तक की मीयाद वाले कर्जों के मामले में तीन महीने;

(ख) दो वर्षों से अधिक की मीयाद वाले कर्जों के मामले में छह महीने:

परंतु यह कि जिन कर्जों के मामले में जमानत (सिक्यूरिटी) मौजूद न हो या जमानत (सिक्यूरिटी) को दर्ज न कराया जा सकता हो, उन मामलों में ‘अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि’ उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को कर्ज की पहली चुकौती (रीपेमेंट) की गई हो:

परंतु यह और कि यदि प्रोजेक्ट से संबंधित कर्ज ट्रांसफर (अंतरित) किए गए हों, तो ऐसे में ‘अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि’ उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख से उस प्रोजेक्ट का कारोबार शुरू हुआ हो:

परंतु यह और कि यदि ट्रांसफर करने वाले (ट्रांसफरर) ने कर्ज दूसरी एंटिटियों से खरीदे हों, तो ऐसे में जिस तारीख को ट्रांसफर करने वाले (ट्रांसफरर) के बही-खातों में कर्ज दिखाए गए हों, उस तारीख से छह महीने पूरे होने से पहले वे कर्ज ट्रांसफर नहीं किए जा सकते:

परंतु यह और कि यदि कर्ज कारोबारी (कमर्शियल) या रिहायसी संपत्तियों को गिरवी रखकर लिए गए हों, तो ऐसे में ‘अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि’ उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को कर्ज लेने वाले को कर्ज की पूरी रकम मिल जाए, या फिर जिस तारीख को ‘सिक्यूरिटी इंटरेस्ट’ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइज़ेशन असेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया’ के यहाँ दर्ज करवा दिया जाए (जो भी तारीख बाद की हो)।

(4) इस विनियम में दी हुई किसी भी बात के होते हुए भी, बोर्ड दूसरे कर्जों या रिसीवेबल के संबंध में यह बता सकेगा कि उनके मामले में “अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि” कितनी होगी।

क्लीन-अप कॉल ऑप्शन

30घ. (1) ओरिजिनेटर क्लीन-अप कॉल ऑप्शन का प्रयोग करके ही ट्रांसफर किए गए एक्सपोज़र को दोबारा खरीद सकेगा:

परंतु यह कि क्लीन-अप कॉल का प्रयोग करके जब खरीद की जाए, तब व्यवहार और शर्तें आदि वैसी ही रहें (कीमत या फीस के मामले में भी) और साथ ही ओरिजिनेटर कर्ज दिए जाने के संबंध में मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा समीक्षा (रिव्यू) की प्रक्रिया भी सभी के लिए एक जैसी अपनाए।

(2) ओरिजिनेटर अंडरलाइंग असेट्स या सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स के असल मूल्य के अधिक से अधिक दस प्रतिशत तक की रकम के बराबर की सीमा तक क्लीन-अप कॉल का प्रयोग कर सकता है।

(3) क्लीन-अप कॉल का प्रयोग ओरिजिनेटर की इच्छा पर ही निर्भर करेगा।

(4) क्लीन-अप कॉल ऑप्शन्स क्रेडिट एन्हान्समेंट या निवेशकों की पोजीशन के मामले में होने वाले नुकसान से बचने के लिए अथवा क्रेडिट एन्हान्समेंट के लिए न लाए जाएँ:

परंतु यह कि यदि क्लीन-अप कॉल का प्रयोग करके क्रेडिट एन्हान्समेंट का उद्देश्य पूरा किया जा रहा हो, तो ऐसे में यही माना जाएगा कि ओरिजिनेटर द्वारा सहायता प्रदान की गई है।”;

(17) विनियम 31 में, उप-विनियम (1) में,-

(क) शब्दों तथा चिह्नों “प्रतिभूत ऋण लिखते निम्नलिखित समय कालावधियों के भीतर विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को आबंटित की जाएँगी:-” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सिक्क्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स निवेशकों को प्रस्ताव (ऑफर) के बंद होने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर आबंटित किए जाएंगे।” आ जाएँगे;

(ख) उप-खंड (क) और उप-खंड (ख) हट जाएँगे;

(18) विनियम 34 में,

(क) उप-विनियम (3) में, खंड (ग) में,

(i) परंतुक में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “कोई ऐसा विनिश्चय स्कीम के विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के विशेष संकल्प के द्वारा लिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 179 तथा 189” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “कोई ऐसा निर्णय तभी लिया जाएगा जब स्कीम के निवेशकों द्वारा विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित कर दिया जाए, और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 109 तथा धारा 114” आ जाएँगे;

(ii) दूसरे परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों “खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त नया न्यासी इन विनियमों के अधीन बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है या ऐसे रजिस्ट्रीकरण से छूट-प्राप्त है” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “खंड (ग) के तहत नियुक्त किया गया नया ट्रस्टी (न्यासी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 [सेबी (डिबेंचर ट्रस्टीज़) रेग्यूलेशन्स, 1993] के तहत बोर्ड से रजिस्टर (रजिस्ट्रीकृत) हो” आ जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (6) में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रतिभूति ऋण लिखतों के निर्गमन के निबंधनों में प्रतिकूल रूप से फेरफार विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सिक्क्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स के इश्यू (निर्गमन) से संबंधित शर्तों आदि (निबंधनों) में निवेशकों की सहमति लिए बिना कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा” आ जाएँगे;

(ग) उप-विनियम (7) में, शब्दों तथा चिह्नों “के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) ने फेरफार के प्रति अपनी सहमति दे दी है यदि और केवल यदि इक्कीस दिनों की सूचना (नोटिस) उनको दी जाती है, प्रस्तावित फेरफार की, और यह डाक मतपत्र के माध्यम से उनके द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित है” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “के प्रयोजनार्थ, निवेशकों द्वारा फेरबदल के संबंध में दी गई सहमति तभी मान्य होगी जब उन्हें किए जाने वाले फेरबदल के संबंध में इक्कीस दिन पहले (नोटिस) दी गई हो, और उनके द्वारा ई-मतदान के जरिए विशेष संकल्प पारित करके इस संबंध में मंजूरी दे दी जाए” आ जाएँगे;

(घ) उप-विनियम (8) में, शब्दों, अंकों तथा चिह्नों “कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 189 तथा 192क और उसके अधीन विरचित नियम यथावश्यक परिवर्तन सहित उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट विशेष संकल्प के प्रति लागू होंगे” के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न “कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 110 तथा धारा 114 उस विशेष संकल्प के प्रति जरूरी बदलावों सहित लागू होंगे, जिसका जिक्र उप-विनियम (7) में किया गया है” आ जाएँगे।

- (19) विनियम 35 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) में, शब्दों तथा चिह्नों “उसके धारकों के अभिलेख रखना, चाहे उन्हें कागजी रूप में धारण किया जा रहा हो या गैर-कागजी रूप में” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “सिक्क्योरिटाइज़्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिस-जिस के पास हों उस-उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा” आ जाएँगे;
- (20) विनियम 35क में, उप-विनियम (2) हट जाएगा;
- (21) विनियम 36 में, उप-विनियम (1) हट जाएगा;
- (22) विनियम 36 के बाद, विनियम 36क जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) के संबंध में विज्ञापन जारी करना

36क. (1) सिक्क्योरिटाइज़्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स के पब्लिक ऑफर (सार्वजनिक प्रस्तावों) के संबंध में, “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) या उसका ट्रस्टी (न्यासी) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज [जिसके यहाँ लिस्टिंग (सूचीबद्धता) हेतु आवेदन किया गया हो] को इस बात से संतुष्ट करेगा कि सिक्क्योरिटाइज़्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स की प्रत्येक स्कीम में पैसा लगाने (अभिदान करने / को सब्सक्राइब करने) हेतु जो ऑफर (प्रस्ताव) आम जनता के लिए लाया गया, वह इश्यू (निर्गम) खुलने की तारीख को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप में [यानि कि ऑनलाइन प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में अथवा इश्युअर (निर्गमकर्ता) या उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर] विज्ञापन जारी करके ही लाया गया, या फिर एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और जहाँ इश्युअर का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचारपत्र (जिसे काफी ज्यादा लोग पढ़ते हों) में विज्ञापन जारी करके लाया गया है और उस विज्ञापन में वह जानकारी भी दी गई जिसका जिक्र अनुसूची-VII में किया गया है:

परंतु यह कि जो “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) पब्लिक इश्यू से संबंधित विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का विकल्प चुने, वह एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में और जहाँ “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) या डिबेंचर ट्रस्टी (डिबेंचर न्यासी) का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचारपत्र (जिसे काफी ज्यादा लोग पढ़ते हों) में विज्ञापन जारी करके एक सूचना (नोटिस) प्रकाशित करे, जिसमें एक क्यू.आर. कोड (क्विक रिस्पॉन्स कोड) और एक लिंक भी दिया जाए, ताकि पूरा विज्ञापन देखा जा सके।

(2) कोई भी इश्युअर न तो गुमराह करने के इरादे से कोई विज्ञापन जारी करे, न ही ऐसा कोई विज्ञापन जारी करे जिसमें जानकारी तोड़-मरोड़कर पेश की गई हो, और न ही हेराफेरी या धोखाधड़ी करने के इरादे से कोई विज्ञापन जारी करे।

(3) विज्ञापन में सही-सही, निष्पक्ष और स्पष्ट जानकारी दी जाए, और उसमें न तो कोई गलत जानकारी दी जाए, न ही ऐसा कोई वादा किया जाए और न ही ऐसे कोई हसीन सपने दिखाए जाएँ जिनसे निवेशक गुमराह हो जाएँ।

(4) “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) द्वारा जारी किए गए किसी विज्ञापन में केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किया जाए जिनका जिक्र ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) में हों, और पब्लिक इश्यू में पैसा लगाने के लिए आकर्षित करने हेतु उन विज्ञापनों में मॉडलों, जाने-माने व्यक्तियों, काल्पनिक पात्रों, लैंडमार्क, हास्य-व्यंग्य चित्रों (केरिकेचर) आदि को शामिल न किया जाए।

(5) विज्ञापन के जरिए केवल ऑफर डॉक्यूमेंट में दी हुई जानकारी के आधार पर ही निवेश करने को कहा जाए।

(6) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के यहाँ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज) फाइल किए जाने की तारीख से इश्यू (निर्गम) के बंद होने की तारीख तक “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटिटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटिटी) द्वारा कंपनी (कारपोरेट) के संबंध में या प्रोडक्ट (उत्पाद) के संबंध में

जारी किए जाने वाले किसी भी विज्ञापन में न तो सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स के इश्यू (निर्गम) के बारे में कोई जिक्र हो और न ही उस विज्ञापन के जरिए सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स में निवेश करने को कहा जाए।

(7) क्रेडिट रेटिंग को विज्ञापन में प्रमुखता से दिखाया जाए।”;

(23) विनियम 38ड में, उप-विनियम (1) में, शब्दों “और जो इन विनियमों की” के बाद और शब्दों “में निर्धारित किए गए हों” से पहले दिए हुए शब्द, अंक तथा अक्षर “अनुसूची Vक” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “अनुसूची-VI” आ जाएंगे;

(24) विनियम 43 में, उप-विनियम (1) में, स्पष्टीकरण में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “प्रयोजनों के लिए, पद “अर्हित लेखापरीक्षक (संपरीक्षक)” का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 से प्राप्त है” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “प्रयोजनार्थ, शब्दों “अर्हित लेखापरीक्षक” का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में दिया हुआ है” आ जाएंगे;

(25) अनुसूची-III में, खंड 3 के बाद और खंड 4 से पहले, निम्नलिखित खंड 3क खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“3क. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी (न्यासी) यह सुनिश्चित करेंगे कि कंपनी (कारपोरेट) के स्तर पर अच्छी नीतियाँ बनाई जाएँ तथा कंपनी संचालन की अच्छी व्यवस्था हो, और उनके यहाँ आंतरिक कामकाज हेतु आंतरिक स्तर पर आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की जाए और साथ ही यह भी निर्धारित किया जाए कि उनके कर्मचारियों का अपने कामकाज में व्यवहार कैसा रखना चाहिए। इस आचार संहिता के तहत यह भी निर्धारित किया जा सकेगा कि एक पेशेवर होने के नाते वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे, पूरी गोपनीयता एवं निष्पक्षता बरतेंगे, और साथ ही साथ वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हितों के टकराव (हित-विरोध) की कोई स्थिति पैदा न हो, और इसके अलावा उनके पास जो-जो शेयर हों और जहाँ-जहाँ हिस्सेदारी हो उनकी जानकारी देते रहेंगे, आदि।”;

(26) अनुसूची-III में, खंड 17 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“17. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी (न्यासी) –

- i. यह दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि बाजार में मांग बहुत ज्यादा है;
- ii. भाव में हेराफेरी करने की कोशिश नहीं करेंगे;
- iii. किसी स्टॉक एक्सचेंज में पहले से लिस्ट (सूचीबद्ध) या फिर लिस्ट होने के लिए प्रस्तावित सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित यू.पी.एस.आई. (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) किसी भी व्यक्ति या इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) को नहीं देंगे।”;

(27) अनुसूची-III में, खंड 17 के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“18. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी (न्यासी) अपने प्रत्येक ग्राहक की सही-सही पहचान सुनिश्चित करने, प्रत्येक ग्राहक की वित्तीय स्थिति का सही-सही जायजा लेने तथा उनका रिकॉर्ड रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएँगे।

19. ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि यदि रजिस्ट्रीकरण की मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई बदलाव हो जाए या फिर यदि बोर्ड द्वारा ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए या फिर वित्तीय स्थिति में ऐसा कोई बड़ा बदलाव हो जाए जिससे निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ सकने की संभावना हो तो उसकी जानकारी ग्राहकों को तुरंत दे दी जाए और इस प्रकार जिन ग्राहकों पर असर पड़ रहा हो उनसे यदि कोई अनुदेश प्राप्त हो, तो उनके अनुसार बाकी का कारोबार किसी दूसरे रजिस्टर इंटरमीडियरी (मध्यवर्ती) को अंतरित (ट्रांसफर) कर दी जाए।

20. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी कामकाज के दौरान हो सकने वाले हितों के टकराव की स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था निर्धारित करेंगे, या जहाँ हितों के टकराव की कोई स्थिति पैदा हो गई हो वहाँ उसमें इस तरह से निपटेगा कि किसी को कोई नुकसान न उठाना पड़े।
21. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी ग्राहकों को इस बात की पूरी जानकारी देंगे कि ट्रस्टी के रूप में कार्य करते समय कर्तव्यों और हितों के टकराव की ऐसी स्थिति कहाँ-कहाँ पैदा हो सकती है, जब वह अपनी सेवाएँ स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होकर तथा बिना किसी बाहरी दबाव के नहीं दे सकेगा।
22. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी ऐसे किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शरीक नहीं होंगे, जिससे दूसरे ट्रस्टी या सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट (प्रतिभूत ऋण लिखत) में पैसा लगाने वाले (सब्सक्राइबर) के हितों को नुकसान हो सकता हो या फिर कोई कार्य आदि अपने हाथ में लेते समय या कोई कार्य आदि करते समय वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो ऐसे दूसरे ट्रस्टी के लिए अहितकर हो या फिर कम फीस का आश्वासन देकर दूसरे ट्रस्टी के ग्राहकों को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश नहीं करेंगे।
23. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी अपनी स्कीमों और उन स्कीमों के ग्राहकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, हालाँकि जहाँ नैतिकता के आधार पर और पैसे के लेनदेन के आधार पर ऐसा करना जरूरी हो वहाँ ऐसा किया जा सकेगा।
24. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसके ट्रस्टी के पास “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) से संबंधित जो भी जानकारी हो उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (जो रजिस्टर हों) के साथ साझा करेंगे।
25. सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट जिनके पास पड़े हों, उन्हें “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी अपने कारोबार के संबंध में पर्याप्त जानकारी (डिस्कलोज़र) देंगे, जैसे कि जरूरत पड़ने पर जिससे संपर्क करना है उसके ब्यौरे, उन्हें क्या-क्या सेवाएँ दी जाएँगी, और उसके यहाँ कार्य करने वाले उन दूसरे कर्मचारियों और उसकी ओर से कार्य देखने वाले उन व्यक्तियों के नाम तथा उनका ओहदा जिनसे जरूरत पड़ने पर संपर्क किया जा सकता हो।
26. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट और सिक्यूरिटी रिसीट जिनके पास हों, उन्हें समय रहते पर्याप्त जानकारी दी जाए (डिस्कलोज़र किया जाए), ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।
27. न्यासी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि —
- (क) सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट (प्रतिभूत ऋण लिखत) और सिक्यूरिटी रिसीट (प्रतिभूति रसीद) जिनके पास हों, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उचित जवाब दिया जाए;
 - (ख) सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट और सिक्यूरिटी रिसीट (प्रतिभूति रसीद) जिनके पास हों, उनकी शिकायतों का समय पर और सही ढंग से निवारण किया जाए; और
 - (ग) यदि शिकायत का निवारण तुरंत न किया जा रहा हो, तो उस स्थिति में सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट और सिक्यूरिटी रिसीट जिनके पास हों, उन्हें यह जानकारी दी जाए कि ऐसे में विनियामक (रेग्युलेटर) व्यवस्था के तहत उनके पास क्या विकल्प है और वे आगे क्या कदम उठा सकते हैं।
28. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी इस बात का पूरा-पूरा प्रयास करेंगे कि निवेशक को न तो किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी दी जाए और न ही कोई गुमराह करने वाली कोई जानकारी दी जाए।

29. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी अपेक्षानुसार ज्ञान और योग्यता का स्तर बनाए रखेंगे या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), विनियमों (रेग्यूलेशन), परिपत्रों (सर्कुलर्स) के प्रावधानों का और दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।
30. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी बोर्ड के पास प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों, प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों या किसी जानकारी में न तो किसी तरह की कोई गलत बयानबाजी करेंगे और न ही कोई अहम तथ्य छिपाएँगे।
31. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कानूनी प्रावधान, नियम, विनियम (रेग्यूलेशन) का और बोर्ड या किसी अन्य विनियामक निकाय (रेग्युलेटरी बॉडी) के निदेशों का उल्लंघन किए जाने या उनका पालन न किए जाने की वजह से यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही आदि शुरू की जाती है, तो वे उसकी सूचना बोर्ड को तुरंत देंगे।
32. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी या उसका कोई भी कर्मचारी किसी सिक्यूरिटी (प्रतिभूति) के बारे में आम जनता के लिए उपलब्ध मीडिया [फिर चाहे वह वास्तविक समय (रियल टाइम) वाला हो या न हो] में, सीधे-सीधे या किसी और जरिए से, कोई निवेश सलाह तब तक नहीं देगा, जब तक ऐसी सलाह देते समय उस सिक्यूरिटी से जुड़े उसके हित की जानकारी [जिसमें उसकी लांग पोজीशन या शॉर्ट पोজीशन की जानकारी भी शामिल है] न दे दी जाए (डिस्क्लोज़ न कर दिया जाए)।
33. यदि “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी ऐसी कोई सलाह दे रहे हों, तो ऐसी एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि वह यह खुलासा कर दे कि उसका खुद का, उसके परिवार के आश्रित सदस्यों का और नियोक्ता (एम्प्लॉयर) का कितना हित जुड़ा हुआ है [यानि कि ऐसी सलाह देते समय उस सिक्यूरिटी में उन्होंने कितना लांग पोजिशन या शॉर्ट पोजिशन ले रखा है]।
34. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने जिस भी व्यक्ति को कामकाज करने के लिए नियुक्त किया हो, वह उचित तथा उपयुक्त व्यक्ति हो, और साथ ही इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति के पास कार्य करने के लिए पर्याप्त योग्यताएँ भी हों (जिनमें पेशेवर के तौर पर प्रशिक्षित होना तथा पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य करने का अनुभव होना भी शामिल है)।
35. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहाँ कामकाज पर अच्छी तरह से नज़र बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और साथ ही साथ उनकी ओर से कामकाज का संचालन करने हेतु उनके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों पर भी अच्छी तरह से नज़र बनाए रखने की पर्याप्त व्यवस्था हो।
36. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसके ट्रस्टी के यहाँ आंतरिक स्तर पर नियंत्रण की व्यवस्थाएँ हों और वे आर्थिक रूप से या अपना कामकाज करने के संबंध में वे इतने सक्षम हों, कि वे चोरी, धोखाधड़ी और बेईमानी से किए जाने वाले कार्यों से, पेशे से जुड़े गलत कार्यों से या पेशे से जुड़े कार्य न किए जाने की वजह से हो सकने वाले नुकसान से उनके कामकाज, उनके ग्राहकों, निवेशकों और अन्य रजिस्टर मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) की सुरक्षा कर सकें।
37. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसके ट्रस्टी के कर्मचारियों और एजेंटों ने कारोबार के संचालन के संबंध में जो कुछ भी किया हो या उनके द्वारा कुछ करना रह गया हो, तो उसके लिए “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी जिम्मेदार होगा।

38. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी अपने अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) को पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ प्रदान करेंगे, ताकि वह अपना कर्तव्य कारगर ढंग से निभा सके।

39. “अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी” (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) और उसका ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठ प्रबंध-मंडल (खासतौर पर निर्णय लेने वालों) को कारोबार से जुड़ी हर जरूरी जानकारी समय पर मिले।”;

(28) अनुसूची-IV में, खंड-16 हट जाएगा;

(29) अनुसूची-V में,

(क) खंड 4.3 में, शब्दों तथा चिह्न “न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा, यदि कोई हो” के स्थान पर शब्द “कम से कम कितना हिस्सा अपने पास रखना होगा” आ जाएंगे।

(ख) खंड 7.1 में, उप-खंड (ज) हट जाएगा।

(ग) खंड 12 में, उप-खंड (4) में, शब्दों तथा चिह्न “चूकों के बारे में प्रकटीकरण, यदि कोई हों” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “पिछले तीन वर्षों में और वर्तमान वित्तीय वर्ष में सर्विसिंग से संबंधित बाध्यताएँ पूरी करने के सिलसिले में जो भी चूक हुई हो, उसकी जानकारी दी जाए” आ जाएंगे।

(घ) खंड 16 में, शब्दों “बकाया मुकदमे और तात्त्विक गतिविधियाँ” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ओरिजिनेटर या सर्विसर या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) से जुड़े किसी अन्य पक्ष के संबंध में यदि ऐसे कोई मुकदमे चल रहे हों तथा ऐसी कोई बड़ी घटनाएँ हुई हो जिनका असर निवेशकों के हितों पर पड़ सकने की संभावना हो, तो ऐसे मुकदमों तथा घटनाओं की जानकारी” आ जाएंगे।

(ङ) खंड 19 में, उप-खंड (2) में, शब्दों “निम्नानुसार प्रारंभकर्ता के निदेशकों द्वारा एक घोषणा भी अंतर्विष्ट होगी” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ओरिजिनेटर के निदेशकों (पब्लिक इश्यू के मामले में), या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं) [प्राइवेट प्लेसमेंट वाले सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स के मामले में] द्वारा निम्नानुसार की गई एक घोषणा भी शामिल की जाएगी” आ जाएंगे।

(च) खंड 19 में, उप-खंड (2) में, शब्दों “प्रारंभकर्ता के निदेशक होते हुए” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “ओरिजिनेटर के निदेशक (या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) होने के नाते” आ जाएंगे;

(30) अनुसूची-Vक अब अनुसूची-VI बन जाएगी;

(31) इस प्रकार बनी अनुसूची-VI के बाद, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

“अनुसूची-VII

सिक्योरिटाइज्ड डैट इंस्ट्रुमेंट्स (प्रतिभूत ऋण लिखतों) के पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गमों) के संबंध में जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का फॉर्मेट

[विनियम 36क देखें]

यह विज्ञापन केवल जानकारी के लिए है

पता: _____ दूरभाष: _____

ई-मेल: _____ वेबसाइट: _____

इश्यू (निर्गम) से संबंधित जानकारी

₹ _____ की _____ सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स (एक का भाव ₹ _____) का पब्लिक इश्यू [संक्षेप में यह बताया जाए कि कूपन दर क्या होगी, लाभांश (डिविडेंड) कितना मिलेगा, रिडेंप्शन के समय कितनी रकम मिलेगी, आदि]

प्रमोटर (संप्रवर्तक)

XXXX

कहाँ सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाएंगे
स्टॉक एक्सचेंजों के नाम

लीड मैनेजर (अग्रणी प्रबंधक)
(नाम)

इश्युअर (निर्गमकर्ता / इश्यू जारी करने वाले) के अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) के ब्यौरे
नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट

क्रेडिट रेटिंग (मिली रेटिंग को प्रमुखता से जाहिर किया जाएगा और साथ ही यह भी बताया जाएगा कि दी गई रेटिंग का अर्थ क्या है)

न्यासी (ट्रस्टी) के ब्यौरे
(नाम)

आवेदन फॉर्म कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं
इश्युअर का नाम, लीड मैनेजर, आदि के नाम
(यहाँ इनके पते भी दिए जा सकते हैं)

ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) कहाँ-कहाँ उपलब्ध है
निवेशकों कृपया इश्यू (निर्गम) में आवेदन करने से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेज) जरूर पढ़ लें और उसमें जिन-जिन जोखिमों का उल्लेख किया गया है उन्हें भी जान लें। ऑफर डॉक्यूमेंट की प्रति इश्युअर / लीड मैनेजर / स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की वेबसाइटों ([www._____](http://www._____.)) पर दी हुई है।

इश्यू के खुलने की तारीख:
इश्यू के बंद होने की तारीख:

["अलग से किसी खास उद्देश्य से बनी एंटीटी" (स्पेशल पर्पस डिस्टिंक्ट एंटीटी) का नाम] के ट्रस्टी (न्यासियों) द्वारा जारी"

प्रमोद राव, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./74/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज़्ड डैट इंस्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एल ए डी-एन आर ओ/जी एन/2008 /12 /126567 द्वारा, 26 मई, 2008 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूत ऋण लिखतों [सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स] का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 तत्पश्चात्-
 - (क) 9 अप्रैल, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी.-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन./2015-16/001., द्वारा
 - (ख) 26 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) का सार्वजनिक प्रस्ताव और इनकी सूचीबद्धता] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/26, द्वारा
 - (ग) 9 अक्तूबर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) और प्रतिभूति रसीदों (सिक्यूरिटी रिसीट्स) का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/43, द्वारा
 - (घ) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th May, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF SECURITISED DEBT INSTRUMENTS AND SECURITY RECEIPTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/247.—In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 17A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and section 30 read with sections 11, and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) Regulations, 2008, —

(1) in regulation 2, in sub-regulation (1),

(a) after clause (a) and before clause (b), the following shall be inserted, namely,-

“(aa) “advertisement” shall have the meaning assigned to it in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;”;

(b) in clause (d), the words “these regulations” shall be substituted by the words “the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993”;

(c) after clause (d) and before clause (e), the following shall be inserted, namely-

“(da) “control” shall have the meaning assigned to it in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;”;

(d) in clause (g),

i. sub-clause (ii) shall be substituted with the following sub-clauses, namely-

“ii. any financial asset originated by an originator regulated by the Reserve Bank of India:

Provided that the special purpose distinct entity shall ensure that such originators shall not undertake the securitisation activities or assume securitisation exposures mentioned below:

(a) Re-securitisation exposures;

(b) Structures in which short term instruments such as commercial paper, which are periodically rolled over, are issued against long term assets held by a special purpose distinct entity;

(c) Synthetic securitisation; and

(d) Securitisation with the following assets as underlying:

i. revolving credit facilities as underlying which involve underlying exposures where the borrower is permitted to vary the drawn amount and repayments within an agreed limit under a line of credit (e.g. credit card receivables and cash credit facilities);

ii. Restructured loans and advances which are in the specified period;

iii. Exposures to other lending institutions;

iv. Refinance exposures of All India Financial Institutions;

v. Loans with options of bullet payments of both principal and interest as underlying; and

vi. Loans with residual maturity of less than three hundred and sixty five days:

Provided that loans with tenor up to twenty four months extended to individuals for agricultural activities [as described in Chapter III of the Reserve Bank of India (Priority Sector Lending – Targets and Classification) Directions, 2020] where both interest and principal are due only on maturity and trade receivables with tenor up to twelve months, discounted or purchased by lenders from their borrowers shall be eligible for securitization:

Provided further that only those loans or receivables shall be eligible for securitisation where a borrower (in case of agricultural loans) or a drawee of the bill (in case of trade receivables) has fully repaid the entire amount of last two loans or receivables (one loan, in case of agricultural loans with maturity extending beyond one year) within ninety days of the due date.

Explanation:— In case such assets are securitised, the investors in the securitisation notes issued against them should be able to verify the compliance of the underlying asset with the above requirement.

iii. equipment leasing receivables;

iv. listed debt securities;

v. trade receivables (arising from bills or invoices duly accepted by the obligors);

vi. rental receivables; and

vii. such debt or receivable including sustainable securitised debt instruments as notified by the Board:

Provided that all such debts or receivables shall arise from written contractual obligations or written contracts:

Provided further that no other debt or receivable (including unlisted debt securities or other securities or instruments or assets) shall be permitted to be an underlying for a securitised debt instrument:

Provided further that re-securitisation and synthetic securitisation shall not be permitted.”

ii. sub-clause (iii) shall be renumbered as sub-clause (viii);

(e) after clause (j) and before clause (k), the following shall be inserted, namely-

“(ja) “minimum holding period” means the minimum period for which a originator shall hold the debt or receivable before the same is assigned to a special purpose distinct entity for the purpose of securitisation;”

- (2) In Chapter II, in the heading, the words “Registration of Trustees” shall be substituted with the words “Trustees”;
- (3) in regulation 4,
- (a) in sub-regulation (1),
 - i. in clause (b), the words “these regulations” shall be substituted with the words “the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993”;
 - ii. in clause (c), the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;
 - iii. after clause (c), a proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that an entity already registered with the Board as trustee under these regulations as on the date of coming into force of this amendment, shall continue to act as trustee of such special purpose distinct entity;”;
 - (b) sub-regulations (2), (2A), (3), (4) and (5) shall be omitted.
- (4) regulations 5, 6, 7 and 8 shall be omitted;
- (5) in regulation 10, in sub-regulation (3),
- (a) after the words “same group or which is” and before the words “as the trustee”, the words “under the same management” shall be substituted with the words “under the same control”;
 - (b) in the explanation,
 - i. in clause (a), after the words “group within the meaning of”, the words “clause (ef) of section 2 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or if they own ‘inter-connected undertakings’ within the meaning of clause (g) of section 2 of that Act” shall be substituted with the words “clause (b) of the Explanation to section 5 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003)”;
 - ii. in clause (b), after the words “the expression” and before the words “shall have the meaning”, the words “under the same management” shall be substituted by the words “under same control”;
 - iii. in clause (b), the words, symbols and numbers “subsection (1B) of section 370 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be substituted with the words, symbol and numbers “clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011”;
- (6) after regulation 10 and before regulation 11, the following regulation shall be inserted, namely,-
- “Mandatory periodic disclosure requirements**
- 10A.** (1) The originator shall provide the periodic reports to the trustee regarding the performance of the underlying asset pool, atleast on a quarterly basis.
- (2) The originator shall provide a certificate from its auditor (s) regarding the disclosures of underlying asset pool assigned to the securitization trust, as made by the originator, on quarterly basis.”
- (7) in regulation 11,
- (a) in sub-regulation (2), after the words “concerned parties”, the words, “and shall take necessary steps in case of any breach of covenants in terms of the trust deed and transaction documents” shall be inserted;
 - (b) in sub-regulation (3),
 - i. in clause (f), before the words “the board about any action”, the words “take appropriate measures for protecting the interest of the investors including informing” shall be substituted by the word “inform”;
 - ii. in clause (i), after the words “the actions taken” and before the words “, atleast on quarterly”, the word “thereof” shall be substituted by the word “thereon”;
 - iii. in clause (j), after the words “regarding the” and before the words “disclosures of underlying asset”, the words “status of” shall be inserted;
 - iv. the clause (l) shall be substituted with the following, namely,

“(l) call a meeting of all the investors on—

- (i) a requisition in writing signed by at least one-tenth of the investors in value for the time being outstanding; or
 - (ii) the happening of any event, which constitutes a servicer default or breach of covenants as specified in the trust deed or transaction documents, or which in the opinion of the trustee affects the interest of the investors;”;
- v. after clause (l), the following clause shall be inserted, namely,-
- “(la) call a meeting of the investors, if required in the opinion of the trustee;
- (lb) call and conduct the meeting of investors in such manner as may be specified by the Board from time to time, subject to the following conditions:
- (a) in order to facilitate wider participation and collective sense, meetings shall be facilitated by video-conferencing and voting shall be facilitated by electronic means;
 - (b) to facilitate timely decision-making, the sense of the meeting shall be ascertained on the basis of present and voting;
 - (c) as to requisite majority, unless otherwise explicitly provided in these regulations or any other regulations framed by the Board or any other law for the being in force or the trust deed, any matter placed before the securitised debt instrument holders shall be decided by such securitised debt instrument holders, holding more than fifty per cent value of the outstanding securitised debt instruments:

Provided that the terms of the issue of securitised debt instruments or trust deed may provide for a higher majority for taking such decision.

Explanation:- For the purpose of these regulations, standards, if any, as specified by the Board with respect to the calling of meetings of securitised debt instrument holders shall *mutatis mutandis* apply to the calling of meetings of investors.”;

- vi. in clause (n), after the words “action taken by Board” and before the words “or any material change in financial position”, the words “against the trustee under any of the applicable regulations” shall be inserted;
 - vii. in clause (n), after the words “material change in financial position” and before the words “which may adversely affect”, the words “of the trustee” shall be inserted.
- (c) after sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be inserted, namely, -
- “(4) The trustees shall be accountable for, and be the custodian of, the funds and property of the respective schemes and shall hold the same in trust for the benefit of the unitholders in accordance with these regulations and the provisions of trust deed.
- (5) The trustee shall ensure that the trust property is properly protected, held and administered by proper persons and by an appropriate number of such persons.
- (6) The trustee shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule III.
- (7) The trustee shall abide by the provisions of the Act and these regulations in respect of the regulated activities carried on by the special purpose distinct entity.”

- (8) After regulation 11A, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Submission of periodic information to the Board

11B. (1) A special purpose distinct entity and the trustee shall furnish information to the Board on a half yearly basis, in the manner as may be specified.

(2)The Board may specify the format of the disclosure and may specify additional instructions and disclosure requirement for facilitating automated supervision and automated processing of data related to securitised debt instrument as part of the continuous disclosure requirements.”;

- (9) in regulation 14, after sub-regulation (2), following sub-regulations shall be inserted, namely,-

“(3) The special purpose distinct entity, while availing the services of a liquidity provider shall ensure that:

- (i) The liquidity facility provider is regulated by at least one financial sector regulator.

- (ii) The facility is structured separately from other arrangements, with clear documentation detailing its nature, purpose, scope, and performance standards in a written agreement executed at the time of the transaction and disclosed in the offer document.
 - (iii) The facility is provided on an 'arms-length basis', under market terms, and subject to the provider's usual credit approval and review process.
 - (iv) Payment of fees or income related to the facility is not subordinated, deferred, or waived.
 - (v) The facility is limited to a specified amount and duration.
 - (vi) The duration is not exceeding the earlier of:
 - (a) settlement of all claims related to the securitized debt instruments notes issued by the special purpose distinct entity; or
 - (b) termination of the facility provider's obligations.
 - (vii) There shall be no recourse to the facility provider beyond its fixed contractual obligations.
 - (viii) A legal opinion is obtained confirming that the agreement protects the facility provider from liability to investors or special purpose distinct entities or trustee, except for its contractual obligations.
 - (ix) The special purpose distinct entities and/or investors have the right to select an alternative provider, subject to compliance with these conditions.
 - (x) The documentation clearly defines the circumstances under which the facility may or may not be accessed.
 - (xi) The facility shall only be drawn if there are sufficient non-defaulted assets to cover it or if a significant credit enhancement covers potential non-performing assets.
 - (xii) The facility shall not be used for:
 - (a) providing credit enhancement;
 - (b) covering the issuer's losses;
 - (c) acting as permanent revolving facility (i.e. liquidity support should be used as an exception rather than the norm); or
 - (d) covering losses in the underlying assets prior to a drawdown.
 - (xiii) The facility shall not be available for:
 - (a) meeting recurring securitisation expenses;
 - (b) funding additional asset acquisition by the special purpose distinct entity;
 - (c) covering final scheduled repayments to investors; or
 - (d) addressing warranty breaches.
 - (xiv) The facility shall be provided to the special purpose distinct entity, not directly to investors.
 - (xv) Once drawn, the facility provider shall have priority over future cash flows from the underlying assets, ranking senior to the senior tranche.
 - (xvi) The originator shall not be liable for any shortfall in liquidity support provided by an independent third party.
- (4) If any of the conditions mentioned in sub-regulation (3) are not met, the liquidity facility shall be regarded as serving the economic purpose of credit enhancement and such third-party liquidity facility shall be classified as credit enhancement.
- (5) The liquidity facility shall only be drawn for short periods and not used for two consecutive repayment cycles."
- (10) in regulation 16, in sub-regulation (1), after the words "Without prejudice to provisions of the" and before the words "or any other applicable law," the words "Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be substituted by the words "Companies Act, 2013 (18 of 2013)";
- (11) after regulation 19, the following regulation shall be inserted, namely,-

"Conditions governing securitisation

19A. The following conditions shall govern the securitisation resulting in issuance of a securitised debt instrument:

- (a) No obligor shall have more than twenty five percent in asset pool at the time of issuance.
- (b) Asset comprising the securitisation pool shall be homogeneous.
- (c) Securitised debt instruments shall be fully paid up upfront.
- (d) Originators shall have a track record of operations of three financial years which resulted in the creation of the type of debt or receivable such originator is seeking to securitise.
- (e) Obligor shall have a track record of operations of three financial years which resulted in the creation of the type of debt or receivable that such originator is seeking to securitise:

Provided that the conditions of the track record, as specified in the clause (d) and (e) shall not be applicable to a securitised debt instrument where the originator is an entity regulated by the Reserve Bank of India:

Provided further that condition as specified in clause (a) may be relaxed by the Board as may be specified from time to time.

Explanation: — (1) The term ‘homogeneous’ shall mean same or similar risk or return profile arising from the proposed underlying for a securitised debt instrument.

(2) The Board may specify homogeneity for different types of underlying debt or receivables, as may be required.”;

(12) in regulation 21, in sub-regulation (4),

- (a) in proviso, the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”
- (b) after first proviso, the following second proviso shall be inserted, namely,-

“Provided further that an offer shall not be deemed to be made to the public if the special purpose distinct entities or securitisation transactions not intending for Pass Through Certificate or Securitised Debt Instruments or Notes or instrument or securities by whatever name called, are being available to number of investors specified in sub-regulation (4) of regulation 21, and not being listed, may opt for below mechanism:

- i. It specifies prominently, expressly and in writing in the offer document or private placement memorandum or information memorandum or document or contract (or other such information in whatever form or manner) for the Pass Through Certificate or Securitization Notes or instrument or securities or securitized debt instruments by whatever name called, that initial and subsequent investors have to be limited to fifty and the investors should abide by such restrictions, and the mechanism instituted by the issuer & depository.
- ii. Issuance, holding and transfer of Pass Through Certificate or Securitisation Notes or securitized debt instruments by whatever name called shall be in dematerialised mode only.
- iii. Issuers and investors shall only utilize the mechanism instituted by the depository for issue & allotment, holding & transfers of such instruments.”

(13) in regulation 23,

- i. sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely-

“(2) The issue of securitised debt instruments by the special purpose distinct entity and the subsequent transfers shall only be in dematerialised form.”; and

- ii. sub-regulation (3) shall be omitted;

(14) In regulation 26, in sub-regulation (2), in the explanation, after the words “the same meaning as in”, the words “sub-section (2) of section 59 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be substituted with the words “sub-section (38) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”;

(15) in regulation 29, after the words “shall remain open for”, the words “more than thirty days” shall be substituted with the words “less than two working days and more than ten working days”;

(16) after regulation 30, the following regulations shall be inserted, namely, -

“Minimum ticket size

30A (1) The minimum ticket size for issuance of a securitised debt instrument shall be rupees one crore.

Explanation: — For the purpose of this regulation, ticket size shall mean the size of investment by a single investor.

(2) The minimum ticket size for subsequent transfers of a securitised debt instrument shall be as follows:

- i. for originators which are not regulated by the Reserve Bank of India, the minimum ticket size shall be rupees one crore.
- ii. for securitised debt instrument having listed securities as underlying, the minimum ticket size amount shall be that of highest face value among such securities:

Provided that securitised debt instruments with amortization structures shall be permitted to be traded at amortised value, if the ticket size falls below rupees one crore.

Minimum retention requirement

30B (1) The special purpose distinct entity shall ensure that the originator shall ensure compliance with the provisions of this regulation.

(2) The originator shall retain a minimum of ten per cent. of the book value of the debt or receivable being securitised:

Provided that in cases where the scheduled maturity of any of the cash flows in the transaction is within twenty four months, the originator shall retain a minimum of five per cent. of the book value of the asset being securitised.

(3) In the case of residential mortgage backed securities, the originator shall retain a minimum of five per cent. of the book value of the loans being securitised, irrespective of the original maturity.

(4) The originator shall retain the book value referred in sub-regulation (3) in the following manner:

- (a) In case where only upto five per cent. of the book value of loans is being securitised:
 - i. First loss facility, if available;
 - ii. If first loss facility is not available, or where retention of the entire first loss facility amounts to less than five per cent., balance through retention of equity tranche;
 - iii. Where retention of the entire first loss facility, if available, and equity tranche amounts to less than five per cent, balance *pari passu* in remaining tranches sold to investors.

(b) In case where more than five per cent of the book value of loans is being securitised:

First loss facility, or equity tranche or any other tranche sold to investors, in any combination thereof.

Explanation: — (1) It is clarified that first loss facility for this purpose shall not include overcollateralization available, if any.

(2) Investment in the Interest Only Strip representing the Excess Interest Spread or Future Margin Income, whether or not subordinated, will not be counted towards the requirement of this regulation.

(5) The following conditions shall be complied with while ensuring compliance with this regulation:

- (a) The originator shall not reduce the percentage of the risk specified to be retained either through hedging of credit risk or selling or encumbering the retained interest.
- (b) The originator shall retain and maintain the minimum risk itself and shall not pass on the same to any of its group entities.
- (c) The form of minimum risk specified to be retained shall not be changed during the life of securitisation.
- (d) The minimum risk retained as a percentage of unamortised principal should be maintained on an ongoing basis except for reduction of retained exposure due to repayment or through the absorption of losses.

Minimum holding period

30C. (1) The special purpose distinct entity shall ensure that the loans are securitised by the originator only after completion of the minimum holding period, as prescribed in this regulation.

(2) The period of holding shall commence from the date of registration of the underlying security interest with the Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India.

(3) The minimum holding period shall be as follows:

- (a) Three months in case of loans with tenor of up to two years;
- (b) Six months in case of loans with tenor of more than two years:

Provided that in case of loans where security does not exist or security cannot be registered, the minimum holding period shall be calculated from the date of first repayment of the loan:

Provided further that in case of transfer of project loans, the minimum holding period shall be calculated from the date of commencement of commercial operations of the project being financed:

Provided further that in case of loans acquired from other entities by a transferor, such loans cannot be transferred before completion of six months from the date on which the loan was taken into the books of the transferor:

Provided further that for commercial or residential real estate mortgages, minimum holding period shall be counted from the date of full disbursement of the loan, or registration of security interest with Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India, whichever is later.

(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Board may specify minimum holding period requirements for other debts or receivables.

Clean up call option

30D. (1) The originator shall be able to repurchase the transferred exposure only through invocation of a clean-up call option:

Provided that the purchase on invocation of clean-up calls is conducted at an arms-length, on market terms and conditions (including price or fee) and is subject to the originator's normal credit approval and review processes.

(2) The originator can exercise the clean-up call at a threshold of not more than ten per cent. of the original value of the underlying assets or securitised debt instruments.

(3) The exercise of the clean-up calls shall be exercised at the discretion of the originator.

(4) The clean-up call options shall not be structured to avoid allocating losses to credit enhancements or positions held by investors or to provide credit enhancements:

Provided that exercise of the clean up call serving as a credit enhancement shall be considered a form of implicit support provided by the originator.”;

(17) in regulation 31, in sub-regulation (1),-

- (a) after the words “instruments shall be allotted to the investor”, the words “within the following time periods:-” shall be substituted with the words “within five days of closure of the offer.”;
- (b) the sub-clause (a) and sub-clause (b) shall be omitted;

(18) In regulation 34,

(a) in sub-regulation (3), in clause (c),

- (i) in proviso, after the words “the investors of the scheme and” and before the words “shall *mutatis mutandis* apply”, the words “sections 179 and 189 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be substituted with the words “sections 109 and 114 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”;
- (ii) in second proviso, after the words “is registered with the Board”, the words “under these regulations or is exempted from such registration” shall be substituted by the words “under the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993”;

(b) in sub-regulation (6), the word “adversely” shall be omitted;

(c) in sub-regulation (7), the words “postal ballot” shall be substituted with the word “e-voting”;

- (d) in sub-regulation (8), before the words “and the rules framed thereunder”, the words “Sections 189 and 192A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)” shall be substituted by the words “Section 110 and 114 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”.
- (19) in regulation 35, in sub-regulation (2), in clause (c), after the words “of the holders thereof”, the words, “, whether holding the same in physical form or dematerialized form” shall be omitted;
- (20) in regulation 35A, the sub-regulation (2) shall be omitted;
- (21) in regulation 36, sub-regulation (1) shall be omitted;
- (22) after regulation 36, regulation 36A shall be inserted, namely, -

“Advertisements for Public issues

36A. (1) In respect of public offers of securitised debt instruments, the special purpose distinct entity or trustee thereof shall satisfy the recognised stock exchange to which a listing application is made that each scheme of securitised debt instruments was offered to the public for subscription through advertisements through electronic modes such as online newspapers or website of the issuer or the stock exchange, or in an English national daily and regional daily with wide circulation at the place where the registered office of the issuer is situated, on or before the issue opening date and such advertisement shall, amongst other things, contain the disclosures as specified in the Schedule VII:

Provided that the special purpose distinct entity opting to advertise the public issue through electronic modes shall publish a notice, in an English national daily and regional daily newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the special purpose distinct entity or the debenture trustee is situated, exhibiting a Quick Response Code and link to the complete advertisement.

(2) No issuer shall issue an advertisement which is misleading or which contains any information in a distorted manner or which is manipulative or deceptive.

(3) The advertisement shall be truthful, fair and clear and shall not contain a statement, promise or forecast which is untrue or misleading.

(4) Any advertisement issued by the special purpose distinct entity shall not contain any matters which are extraneous to the contents of the offer document and the advertisements shall not display models, celebrities, fictional characters, landmarks, caricatures or the likes for solicitation of the public issue.

(5) The advertisement shall solicit investment only on the basis of information contained in the offer document.

(6) Any corporate or product advertisement issued by the special purpose distinct entity from the date of filing of the draft offer document with the stock exchange(s) till the issue closure date, shall not make any reference to the issue of securitised debt instruments or be used for solicitation for securitised debt instruments.

(7) The credit rating shall be prominently displayed in the advertisement.”;

- (23) in regulation 38E, in sub-regulation (1), after the words “and as specified in” and the before the words “of these regulations”, the words “Schedule VA” shall be substituted with the words “Schedule VI”;
- (24) in regulation 43, in sub-regulation (1), in the explanation, after the words “have the meaning derived from”, the words “section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).” shall be substituted by the words “section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”;
- (25) in Schedule III, after clause 3 and before clause 4, the following shall be inserted as clause 3A, namely,-

“3A. A special purpose distinct entity and its trustee shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place and shall develop internal code of conduct for governing its internal operations and laying down standards of appropriate conduct for its employees for carrying out their duties. Such a code

may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests, etc.”;

(26) in Schedule III, in clause 17, after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -

“(iii) passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person or intermediary.”;

(27) in Schedule III, after clause 17, the following clauses shall be inserted, namely, -

“18. A special purpose distinct entity and its trustee shall take all reasonable steps to establish the true and full identity of each of its clients, and of each client’s financial situation and maintain record of the same.

19. The trustee shall ensure that any change in registration status or any penal action taken by Board or any material change in financial position which may adversely affect the interests of investors is promptly informed to the clients and any business remaining outstanding is transferred to another registered intermediary in accordance with any instructions of the affected clients.

20. A special purpose distinct entity and its trustee shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner.

21. A special purpose distinct entity and its trustee shall make appropriate disclosure to the client of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as trustee which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

22. A special purpose distinct entity and its trustee shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other trustees or subscriber to the securitised debt instrument or is likely to place such other trustees in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment nor shall it wean away the clients of another trustee on assurance of lower fees.

23. A special purpose distinct entity and its trustee shall not discriminate among schemes or their clients, except and save on ethical and commercial considerations.

24. A special purpose distinct entity and its trustee shall share information available with it regarding special purpose distinct entity with registered credit rating agencies.

25. A special purpose distinct entity and its trustee shall provide the holders of securitised debt instrument with adequate and appropriate information about its business, including contact details, services available to holders, and the identity and status of employees and others acting on its behalf with whom the holder may have to contact.

26. A special purpose distinct entity and its trustee shall ensure that adequate disclosures are made to the holders of securitised debt instrument and security receipt, in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.

27. A trustee shall endeavour to ensure that—

- (a) inquiries from holders of securitised debt instrument and security receipt are adequately dealt with;
- (b) grievances of holders of securitised debt instrument and security receipt are redressed in a timely and appropriate manner; and
- (c) where a complaint is not remedied promptly, the holders of securitised debt instrument and security receipt is advised of any further steps which may be available to the investor under the regulatory system.

28. A special purpose distinct entity and its trustee shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the investor is not misleading.
29. A special purpose distinct entity and its trustee shall maintain required level of knowledge and competency and abide by the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), regulations and circulars and guidelines.
30. A special purpose distinct entity and its trustee shall not make untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board.
31. A special purpose distinct entity and its trustee ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceeding, etc., initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, directions of the Board or of any other regulatory body.
32. A special purpose distinct entity and its trustee or any of his employees shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time unless a disclosure of his interest including long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.
33. In case the special purpose distinct entity and its trustee is rendering such advice, such entity shall ensure that he discloses his interest, the interest of his dependent family members and that of the employer, including their long or short position in the said security, while rendering such advice.
34. A special purpose distinct entity and its trustee shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed (including having relevant professional training or experience).
35. A special purpose distinct entity and its trustee shall ensure that it has adequate resources to supervise diligently and does supervise diligently persons employed or appointed by it to conduct business on its behalf.
36. A special purpose distinct entity and its trustee shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients, investor and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.
37. A special purpose distinct entity and its trustee shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.
38. A special purpose distinct entity and its trustee shall provide adequate freedom and powers to its compliance officer for the effective discharge of its duties.
39. A special purpose distinct entity and its trustee shall ensure that the senior management, particularly decision makers, have access to all relevant information about the business on a timely basis.”;

(28) in Schedule IV, the clause 16 shall be omitted;

(29) in Schedule V,

- (a) in clause 4.3, after the words “minimum retention requirement”, the words “if any” shall be omitted.
- (b) in clause 7.1, sub-clause (h) shall be omitted.
- (c) in clause 12, sub-clause (4), after the words “Disclosure about defaults” and before the words “if any”, the words “in connection with servicing obligations undertaken in the past in preceding three years and the current financial year.” shall be inserted.
- (d) in clause 16, after the words “material developments”, the words “in relation to the originator or servicer or any other party to the transaction which could be prejudicial to the interests of the investors” shall be inserted.

- (e) in clause 19, in sub-clause (2), after the words “made by the directors” and before the words “of the originator in the”, the words, “(in case of public issues), or authorised signatory (ies) (in case of privately placed securitised debt instruments)” shall be inserted;
 - (f) in clause 19, in sub-clause (2), after the words “being the directors” and before the words “of the originator”, the words “{or authorised signatory (ies)}” shall be inserted;
- (30) Schedule VA shall be renumbered as Schedule VI;
- (31) After renumbered Schedule VI, the following Schedule shall be inserted, namely,-

“SCHEDULE VII

FORMAT OF ADVERTISEMENTS FOR PUBLIC ISSUES OF SECURITISED DEBT INSTRUMENTS

[See Regulation 36A]

This is an advertisement for information purposes

Address: _____ Tel: _____

E-mail: _____ Website: _____

THE ISSUE

Public issue of _____ securitised debt instrument of Rs. _____ each at a price of Rs. _____ (Summary Details of Coupon, Dividend, Redemption, etc. shall be disclosed)

PROMOTERS

XXXX

PROPOSED LISTING

Names of Stock Exchanges

LEAD MANAGERS

(Names)

COMPLIANCE OFFICER OF THE ISSUER

Name, address, telephone numbers, email ID, website address

CREDIT RATING (The rating obtained shall be disclosed prominently along with the meaning of the same)

TRUSTEES

(Names)

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS

Names of Issuer, Lead Managers, etc. (Addresses optional)

AVAILABILITY OF OFFER DOCUMENT

Investors are advised to refer the offer document, and the risk factors contained therein, before applying in the issue. Full copy of the offer document is available on websites of issuer / lead manager(s) / Stock Exchange(s) on www.

ISSUE OPENS ON:

ISSUE CLOSES ON:

Issued by

Trustees of [name of special purpose distinct entity]"

PRAMOD RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./74/2025-26]

Footnotes:

1. The SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008 were published in the Gazette of India on 26th May, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/12/126567
2. The SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) Regulations, 2008 were subsequently amended on-
 - (a) April 09, 2015 by the SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2015 published in Official Gazette vide Notification No. SEBI-NRO/OIAE/GN/2015-16/001.
 - (b) June 26, 2018 by the SEBI (Public Offer and Listing of Securitised Debt Instruments) (Amendment) Regulations, 2018 published in Official Gazette vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/26.
 - (c) October 09, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Securitised Debt Instruments and Security Receipts) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/43.
 - (d) August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.